संख्या-29/2321 ई-2/तेरह-2014-63/2014

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 19 नवम्बर,2014

विषय:-मे0 विन्सन परफ्यूम्स एण्ड कास्मेटिक्स प्रा0लि0, नोयडा, गौतमबुद्धनगर को परफ्यूम्स के निर्माण हेतु एल0-1 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-61/चौबीस-231/2012, दिनांक 25 अगस्त,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त् संदर्भित पत्र दिनांक 25 अगस्त,2014 में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मे0 विन्सन परफ्यूम्स एण्ड कास्मेटिक्स प्रा0लि0, नोयडा, गौतमबुद्धनगर को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन परफ्यूम्स के निर्माण हेतु एल0-1 अनुज्ञापन स्वीकृत/प्रदान किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:-

(1) टायलेट प्रिपरेशन्स अर्थात् परफ्यूम्स के निर्माण के दौरान कोई छीजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) इकाई के लिये मेडिसिन एण्ड टायलेट (एक्साइज ड्यूटीज) रूल्स,1956 के प्राविधान व एल0-1 की अनुज्ञापन की शर्तों का प्रत्येक दशा में अनुपालन अनिवार्य होगा।

(3) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मेडिसिन एण्ड टायलेट (एक्साइज

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

ड्यूटीज) रूल्स,1956 के अन्तर्गत जो भी नियम व शर्तें निर्धारित की जायेंगी, उसका इकाई द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(4) इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यथा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा इकाई स्थानीय विधियों श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की सुसंगत विधियों में विहित व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करते हुये आवश्यक अनापत्ति/पूर्वानुमति प्राप्त कर स्वीकृत क्षमता का उपयोग करेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/so/intra